

51

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कं. / 2014 निगरानी R 3539-J/14

1. सुरेन्द्र सिंह धाकड
2. वीरेन्द्र सिंह धाकड  
पुत्रगण श्री नारायणदास धाकड
3. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह धाकड  
निवासीगण वार्ड कं. 6 इन्दरगढ जिला  
दतिया(म.प्र.)

रवि जी धाकड एडवोकेट

17-10-14 को

..... आवेदकगण

*(Signature)*  
17-10-14

विरुद्ध

1. विक्रम सिंह तनय शंकर सिंह कमरिया
2. श्रीमती विमला बेवा रामदास
3. राजेश,
4. मनोज पुत्रगण रामदास  
नि.गण ररुआ जीवन तह. इन्दरगढ जिला  
दतिया (म.प्र.)
5. बाबूलाल पुत्र सीताराम नि.ररुआ जीवन  
तह. इन्दरगढ जिला दतिया (म.प्र.)
6. महेश पुत्र दुल्ली खंगार  
निवासी ग्राम नेतुआपुरा तह. इन्दरगढ  
जिला दतिया (म.प्र.)

..... अनावेदकगण


निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959  
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ जिला दतिया के  
प्र.कं. 57/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 16.10.  
14 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

M

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3539-एक/14 जिला-दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/11/19	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 52/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16.10.14 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशोधन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ जिला दतिया द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 16.10.14 के विरुद्ध सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशोधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 29.3.19 को कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष उपस्थित रहे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला दतिया</u></p>	

M